Consumer Complaint No. DC/375/CC/09/2024	Smt. Girija Jangde Vs. State Bank Of India & Anr.	Pronounced on Date 18-11-2025

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रस्तुति दिनांकः– 27/12/2023
अंतिम तर्क दिनांकः– 23/10/2025
आदेश पारित दिनांकः– 18/11/2025

परिवाद प्रकरण क्रमांक– DC/375/CC/09/2024

श्रीमती गिरजा जांगड़े, उम्र 54 वर्ष, पति–स्व. बुटारी दास जांगड़े, निवासी–ग्राम बीजाभाटा बीजातराई पोस्ट कोसमतरा, जिला मुंगेली (छ.ग.)
हाल मुकाम– दयालबंद के पास गांधी चौक, बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर (छ.ग.)

.... परिवादिनी
द्वारा श्री नवीन प्रजापति,अधिवक्ता

//विरूद्ध//

1. भारतीय स्टेट बैंक द्वारा श्रीमान शाखा प्रबंधक निवासी बड़ा बाजार रोड, रामगोपाल तिवारी वार्ड, मुंगेली जिला मुंगेली (छ.ग.)

.............विरोधी पक्षकार क्र. 01
द्वारा श्री नवीन बिसेन,अधिवक्ता

2. भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा श्रीमान शाखा प्रबंधक, शाखा रामा पोर्ट द्वितीय तल महिमा बीग बाजार के पास, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर (छ.ग.) 495001

.............विरोधी पक्षकार क्र. 02
द्वारा श्री राजदीप छाबड़ा,अधिवक्ता

समक्षः **माननीय आनंद कुमार सिंघल, अध्यक्ष**
माननीय श्रीमती पूर्णिमा सिंह, सदस्य
माननीय आलोक कुमार पाण्डेय, सदस्य

// आदेश //
(द्वारा– आलोक कुमार पाण्डेय, सदस्य)

1. परिवादिनी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के अंर्तगत यह परिवाद विरोधी पक्षकारगण के विरूद्ध उसके पति द्वारा ली गई ऋण की सुरक्षा हेतु ऋण बीमा पॉलिसी के वैधता अवधि के भीतर उसके पति

के मृत्यु होने के उपरांत बीमा दावा राशि का भुगतान न कर सेवा में कमी करने के आधार पर प्रस्तुत किया है। उक्त सेवा में कमी के परिणामस्वरूप उसे विरोधी पक्षकार से बीमा राशि 1,14,081/–रूपये 12 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान किये जाये और मानसिक क्षतिपूर्ति का 25,000/–रूपये एवं वाद व्यय तथा अन्य उचित अनुतोष दिलाये जाने का निवेदन किया है।

2. अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों एवं तर्क के आधार पर स्वीकृत एवं अविवादित तथ्य इस प्रकार है किः–

(अ) परिवादिनी के पति बुटारी दास जांगड़े द्वारा विरोधी पक्षकार क्र. 01 भारतीय स्टेट बैंक शाखा बड़ा बाजार मुंगेली से उसके ऋण खाता क्र. 38371726845 से 1,14,081/–रूपये का पर्सनल लोन प्राप्त किया गया था।

(ब) परिवादिनी के पति श्री बुटारी दास जांगड़े के नाम से ऋण बीमा पॉलिसी जिसकी पॉलिसी संख्या 0000000019744934 दिनांक 07.11.2020 को जारी की गई थी। जिसकी वैधता अवधि 07.11.2020 से 06.11.2021 तक की अवधि के लिए वैध थी।

(स) बीमित व्यक्ति श्री बुटारी दास जांगड़े के दिनांक 23.04.2021 को कोविड–19 के कारण अचानक हृदय गति रूकने के कारण अपोलो हॉस्पिटल में मृत्यु हो गयी।

(द) विरोधी पक्षकार क्र. 02 बीमा कंपनी ने परिवादी का बीमा दावा 08.08.2023 को अस्वीकार कर दिया था।

3. परिवाद संक्षेप में इस प्रकार हैं कि, अविवादित तथ्य के अतिरिक्त परिवादिनी के पति बुटारी दास जांगड़े द्वारा अपने जीवन काल में दिनांक 07.11.2020 को विरोधी पक्षकार क्र. 01 से पर्सनल लोन 1,14,081/–रूपये लिया गया था। जिस पर विरोधी पक्षकार क्र. 02 बीमा कंपनी द्वारा उक्त लोन का इंश्योरेंस किया गया था। जिसकी वैधता अवधि दिनांक 07.11.2020 से 06.11.2021 तक थी। विरोधी पक्षकार क्र. 02 द्वारा यह आश्वस्त किया गया था कि उक्त अवधि में यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो संपूर्ण ऋण की राशि का भुगतान विरोधी पक्षकार क्र. 02 द्वारा विरोधी पक्षकार

क्र. 01 को किया जायेगा। बीमित बुटारी दास जांगड़े को कोविड–19 से संक्रमित होने के कारण अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया था पर उसी दिन दिनांक 23.04.2021 को कोविड–19 संक्रमण होने से अचानक हृदय गति रूक जाने से बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बीमित बुटारी दास जांगड़े द्वारा अपने बीमा पॉलिसी में नामिनी बनियादास जांगड़े को बनाया गया था। चूंकि बीमित व्यक्ति के पिता बनियादास एवं माता श्रीमती जगरमती की भी मृत्यु हो चुकी है अतः बीमित बुटारी दास जांगड़े की पत्नि एवं उत्तराधिकारी होने की वजह से यह परिवाद प्रस्तुत की है। परिवादिनी के पति की मृत्यु हो जाने के उपरांत दिनांक 26.04.2023 को परिवादिनी द्वारा विरोधी पक्षकार क्र. 01 के माध्यम से बीमा कंपनी के समक्ष बीमा दावा राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसका दावा क्र. 1740971 दर्ज किया गया था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बीमा कंपनी द्वारा दिनांक 08.08.2023 को बीमित व्यक्ति की मृत्यु मधुमेह बीमारी के कारण होने की वजह से निरस्त कर दिया जबकि बीमित व्यक्ति की मृत्यु कोविड–19 संक्रमण होने से हृदयघात हो जाने के कारण हुई थी। इस प्रकार बीमा कंपनी द्वारा असत्य आधार पर बीमा दावा निरस्त कर सेवा में कमी की है। अतः परिवादिनी ने यह परिवाद प्रस्तुत कर उचित अनुतोष दिलाये जाने का निवेदन किया है।

4. विरोधी पक्षकार क्र. 01 भारतीय स्टेट बैंक ने जवाबदावा प्रस्तुत कर अपनी प्रतिरक्षा का आधार यह लिया है कि खातेदार बुटारी दास जांगड़े ने भारतीय स्टेट बैंक की शाखा बड़ा बाजार रोड़, रामगोपाल तिवारी वार्ड, मुंगेली से पर्सनल लोन प्राप्त किया था। ऋण खातेदास बुटारी दास ने भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस से उक्त लोन इंश्योरेंस पॉलिसी बीमा कराया था। भारतीय स्टेट बैंक का कार्य बैंकिंग का है तथा भारतीय स्टेट बैंक इंश्योरेंस का कार्य बीमा का है। अतः दोनों संस्थाएं की कार्यप्रणाली अलग–अलग है तथा बीमा से संबंधित समस्त दस्तावेजों की जांच एवं बीमाकर्ता की मृत्यु होने पर बीमा दावा भुगतान करने का दायित्व बीमा कंपनी का है। खातेदार बुटारी दास की मृत्यु की जानकारी देते हुए मृत्यु पश्चात् दावा राशि प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त दावा को निरस्त करने की सूचना दिनांक 26.04.2023 को गिरजा जांगड़े को प्रेषित किया गया था। भारतीय

स्टेट बैंक शाखा बड़ा बाजार रोड़ मुंगेली से खातेदार बुटारी दास द्वारा अपने ऋण खाता क्र. 38371726845 से प्राप्त किये गये ऋण का ब्याज सहित कोई भी रूपये बकाया नहीं है। उक्त ऋण बीमा दावा भुगतान बुटारी दास जांगड़े के ऋण खातों में समझौते के तहत भुगतान समायोजन के माध्यम से किया जा चुका है।

5. विरोधी पक्षकार क्र. 02 ने अपने जवाबदावा में प्रतिरक्षा का आधार यह लिया है कि यह अविवादित है कि परिवादिनी के पति श्री बुटारी दास जांगड़े के नाम से ऋण बीमा पॉलिसी जिसकी पॉलिसी संख्या 0000000019744934 दिनांक 07.11.2020 को जारी की गई थी। जिसकी वैधता अवधि 07.11.2020 से 06.11.2021 तक की अवधि के लिए वैध थी। बीमित बुटारीदास जांगड़े की दिनांक 23.04.2021 को अपोलो अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी। अपोलो अस्पताल द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के समुचित अवलोकन के बाद यह पता चला कि बीमित व्यक्ति की मृत्यु कोविड–19 के मामले में अचानक हृदय गति रूकने या मधुमेह और कोरोनरी धमनी रोग के कारण हुई थी। उक्त बीमारी उक्त बीमा पॉलिसी की गंभीर बीमारियों की सूची में शामिल नहीं है इसलिए परिवादिनी का बीमा दावा अस्वीकार कर दिया गया था। चूंकि पॉलिसी धारक और बीमा कंपनी के बीच एक कानूनी अनुबंध है और उक्त अनुबंध के पक्षकार उसकी शर्तो से बंधे है। अतः बीमा कंपनी द्वारा उक्त नीति और अनुसूची के नियम और शर्तों के अनुसार बीमा दावा निरस्त कर दिया गया था।

6. परिवादिनी ने अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं के शपथ पत्र के अलावा सूची अनुसार यथा दस्तावेज आधार कार्ड की प्रति **प्रदर्श–सी–01**, लोन इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रति **प्रदर्श–सी–02,** परिवादी को प्रेषित पत्र की प्रति **प्रदर्श–सी–03**, दावा निरस्त करने संबंधी पत्र **प्रदर्श–सी–04,** स्व. बुटारी दास की मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति **प्रदर्श–सी–05**, अनुग्रह राशि हेतु कोविड–19 से मृत्यु के संबंध अनुग्रह राशि हेतु आवेदन पत्र **प्रदर्श–सी–06**, इंडियन बैंक के चेक की छायाप्रति **प्रदर्श–सी–07** आदि प्रस्तुत किया है।

7. विरोधी पक्षकार क्र. 01 ने अपने जवाबदावा को विकास कुमार, शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा बड़ा बाजार मुंगेली को सत्यापित कराया है

और अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

8. विरोधी पक्षकार क्र. 02 ने अपने जवाबदावा को अनिता रघुवंशी, लीगल मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के शपथ पत्र के अलावा अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

9. उभयपक्ष अधिवक्ता का तर्क श्रवण किया गया। अभिलेखगत सामग्री का परिशीलन किया गया।

10. विचारणीय प्रश्न निम्न हैः—

क्या विरोधी पक्षकारगण द्वारा परिवादिनी के प्रति सेवा में कमी की गई है?

निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष

11. उभयपक्ष अधिवक्ता के तर्कों एवं अभिलेखगत सामग्री के परिशीलन से स्पष्ट है कि परिवादिनी के पति बुटारीदास जांगड़े के नाम पर एक पर्सनल लोन प्राप्त किया गया था। विरोधी पक्षकार क्र. 02 ने उक्त लोन की सुरक्षा हेतु लोन इंश्योरेंस पॉलिसी जारी की थी जिसकी वैधता अवधि 07.11.2020 से 06.11.2021 तक प्रभावशील थी। उक्त पॉलिसी का उद्देश्य पर्सनल लोन हेतु बीमा सुरक्षा प्रदान करना था। बीमित बुटारी दास जांगड़े की मृत्यु दिनांक 23.04.2021 को अपोलो अस्पताल में हो गयी थी। मृत्यु प्रमाण पत्र **प्रदर्श—सी—05** के अनुसार मृत्यु का कारण **"Sudden Cardio Respiratory Arrest in case of Covid-19, known case of DM & CAD"** अंकित है। परिवादिनी द्वारा बीमित व्यक्ति की मृत्यु उपरांत बीमा दावा प्रस्तुत किया गया था जिसे बीमा कंपनी ने दिनांक 08.08.2023 को यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि उक्त बीमारी से मृत्यु क्रिटिकल ईलनेस सूची में वर्णित रोगों में से नहीं आती है।

12. यह उल्लेखनीय है कि, परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत अपोलो अस्पताल बिलासपुर द्वारा जारी डेथ सर्टिफिकेट को देखने से यह दर्शित हो रहा है कि बुटारीदास जांगड़े को दिनांक 23.04.2021 को 10:20 मिनट में भर्ती कराया गया था और उसकी मृत्यु उसी दिनांक 23.04.2021 को ही 11:36 मिनट में कोविड—19 के संक्रमण के कारण अचानक हृदयगति रूक जाने से तत्काल

मृत्यु हो गयी थी। कोविड–19 संक्रमण जो सन् 2020–21 के दौरान एक राष्ट्रीय महामारी थी, जिससे संक्रमित होने के कारण बीमित व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु हो गयी थी बीमा कंपनी द्वारा कोविड–19 को किसी स्पष्ट अपवर्जन (Exclusion) में नहीं रखा गया है। यदि बीमा कंपनी ऐसे मृत्यु को अपवर्जित करना चाहती थी तों उसे शर्तों में स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए था। बीमा कंपनी द्वारा केवल यह कहते हुए दावा अस्वीकार करना कि कोविड–19 क्रिटिकल इलनेस की सूची में नहीं है एक तकनीकी आधार है जो बीमा कंपनी के भावनाओं के विपरीत है। हमारे मतानुसार बीमा पॉलिसी की शर्तों में क्रिटिकल इलनेस की परिभाषा सीमित रूप से दी गई है पॉलिसी की संपूर्ण शर्तों का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि कोविड–19 संक्रमण या उससे मृत्यु को किसी भी प्रकार से पॉलिसी में अपवर्जित नहीं किया गया है। यदि बीमा कंपनी ऐसे मृत्यु को दायरे से बाहर रखना चाहती थी तो उसे अनुबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अपेक्षित था। अतः बीमा कंपनी का यह कहना कि कोविड–19 क्रिटिकल इलनेस नहीं है जो कि विधिसंम्मत नहीं है। बीमा कंपनी द्वारा अनुबंध की शर्तों की गलत व्याख्या कर दावा अस्वीकृत करना सेवा में कमी को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **मनमोहन नंदा विरूद्ध यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमि. और अन्य 2022 (4) SCC 582** जो अवलोकनीय हैः–

> ***"The object of seeking a mediclaim policy is to seek indemnification in respect of a sudden illness or sickness which is not expected or imminent and which may occur overseas. if the insured suffers a sudden sickness or ailment which is not expressly excluded under the policy, a duty is cast on the insurer to indemnify the appellant for the expenses incurred thereunder.***

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्याय दृष्टांत में यह स्पष्ट किया है यदि बीमा धारक को अचानक बीमारी होती है। जिसे पॉलिसी के तहत स्पष्ट रूप से बाहर नहीं रखा गया है, तो बीमाकर्ता पर यह कर्तव्य है कि परिवादी/बीमित व्यक्ति को उसके तहत हुए खर्चे की प्रतिपूर्ति करें। उक्त न्याय दृष्टांत को वर्तमान मामलें में लागू करने पर यह स्पष्ट है कि

कोविड–19 संक्रमण एक अचानक उत्पन्न बीमारी है और इसे पॉलिसी में अपवर्जित नहीं किया गया है। अतः विरोधी पक्षकार बीमा कंपनी को बीमित व्यक्ति के कोविड–19 संक्रमण से मृत्यु उपरांत दावा का भुगतान करने का विधिक दायित्व है।

13. विरोधी पक्षकार क्र. 02 बीमा कंपनी के अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह भी आधार लिया है कि बीमित बुटारीदास जांगड़े के मृत्यु प्रमाण पत्र **प्रदर्श–सी–05** के अनुसार मृत्यु का कारण में **Known case of diabetes mellitus and Coronary artery disease"** अंकित है। बीमा कंपनी का यह आधार था कि बीमित बुटारीदास जांगडे पूर्व में मधुमेह और धमनी रोग से पीड़ित था। हमारे मतानुसार, **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10.02.2020 को** जारी परिपत्र में यह स्पष्ट है कि, ''**पूर्व –विद्यमान बीमारी (Pre-Existing Disease) जो पॉलिसी शुरू होने के पिछले 48 महीने के अंदर आपको कोई बीमारी, चोट या कोई समस्या तो नहीं हुई थी जिसका ईलाज किसी डॉक्टर ने किया हो या जिसे डॉक्टर ने पहचाना हो।** बीमा कंपनी द्वारा न तो किसी चिकित्सक का विशेषज्ञ अभिमत, न कोई पूर्व उपचार की रिपोर्ट, अथवा अन्य कोई सुसंगत दस्तावेज इस प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिनसे इस आशय का कोई प्रमाण प्राप्त हो सके। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के सम्यक् परीक्षण से यह आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि परिवादिनी के पति बुटारीदास जांगड़े किसी भी प्रकार की पूर्व विद्यमान रोग से ग्रसित नहीं था। साथ ही विरोधी पक्षकार बीमा कंपनी यह भी सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है कि परिवादिनी के पति बुटारीदास जांगड़े को किसी प्रकार की पूर्व बीमारी की जानकारी थी अथवा उसने जान–बूझकर छिपाया था। हमारे मतानुसार, बीमा कंपनी द्वारा पूर्व विद्यमान बीमारी एवं कोविड–19 को गंभीर बीमारी के श्रेणी में न आने का आधार लेकर दावा अस्वीकृत करना सेवा में कमी को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इस संबंध में **माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नई दिल्ली द्वारा पारित न्याय दृष्टांत पिंकी देवी शर्मा विरूद्ध सहारा इंडिया और एक अन्य (2013) CPJ 177 में** प्रतिपादित किया गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक सामाजिक अधिनियम है, जिसकी व्याख्या उपभोक्ता के

हित में उदारतापूर्वक की जानी अपेक्षित है जो अवलोकनीय हैः–

> **B. Consumer Protection Act, 1986 - Section 21(b)- Revision Petition - Orders- Interpretation of insurance policy - Policy covered critical illness for depositors under a scheme - Complainant's Mitral Valve replacement surgery claim rejected as Heart Valve Operation was not explicitly listed as a critical illness by the insurer- Policy detailed "Coronary Artery Surgery" - Despite specific exclusion for Angioplasty, the broad term "Coronary Artery Surgery" was deemed to encompass Mitral Valve replacement - The purpose of the Consumer Protection Act, a social act, necessitates a broader interpretation to benefit the complainant.**

14. हमारे मतानुसार, चूंकि वर्तमान प्रकरण में यह तथ्य की पुष्टि हो चुकी है कि कोविड–19 संक्रमण एक अचानक उत्पन्न बीमारी है और इसे पॉलिसी में अपवर्जित नहीं किया गया है। अगर पॉलिसी के तहत किसी बीमारी को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं रखा गया है, तो बीमाकर्ता पर यह कर्तव्य है कि परिवादी/बीमित व्यक्ति को उसके तहत हुए खर्चे की प्रतिपूर्ति करें। बीमित व्यक्ति बुटारीदास जांगड़े द्वारा पॉलिसी जारी होने के पूर्व किसी भी प्रकार के महत्वूपर्ण तथ्यों को जान–बूझकर छिपाया नहीं गया था और न ही पूर्व विद्यमान बीमारी का ठोस साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत है, अतः बीमा कंपनी द्वारा दावा अस्वीकार करना विधि सम्मत् नहीं है। अतः प्रश्नाधीन बीमा पॉलिसी की वैधता अवधि के अंतर्गत बीमित व्यक्ति के मृत्यु उपरांत बीमा दावा राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत बीमा दावा स्वीकार किये जाने योग्य है। बीमा कंपनी द्वारा दावा प्रपत्र में प्रस्तुत राशि 1,14,081/–रूपये भुगतान न कर सेवा में कमी की गई है, जिसे वह पाने का अधिकारी है।

15. उपरोक्त सभी दस्तावेजों के संपूर्ण विवेचना एवं न्यायिक निष्कर्षो एवं निर्णित न्याय दृष्टांतो के आधार पर परिवादिनी अपना परिवाद अधिसंभाव्यता की प्रबलता से साबित करने में सफल रही है। भारतीय स्टेट बैंक ने यह व्यक्त किया है कि उसके शाखा बड़ा बाजार रोड़ मुंगेली से खातेदार बुटारी दास द्वारा अपने ऋण खाता क्र. 38371726845 से प्राप्त किये गये ऋण का

ब्याज सहित कोई भी रूपये वर्तमान में बकाया नहीं है। उक्त ऋण बीमा दावा भुगतान बुटारी दास जांगड़े के ऋण खातों में समझौते के तहत भुगतान समायोजन के माध्यम से किया जा चुका है। अतः उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर विरोधी पक्षकार क्र.01 के द्वारा सेवा में कोई कमी किया जाना प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतः उसे दायित्व से मुक्त करते हुए एवं विरोधी पक्षकार क्र. 02 जो बीमा कंपनी है, का कृत्य जो ऊपरीवर्णित सेवा में कमी के अंतर्गत पाया जाता है। अतः विचारोपरांत यह परिवाद विरोधी पक्षकार क्र. 02 के विरूद्ध स्वीकार करते हुए यह निर्देशयुक्त आदेश करते हैंः–

(अ) विरोधी पक्षकार क्र. 02 आदेश की प्रति प्राप्ति की तिथि से 45 दिवस की अवधि के भीतर परिवादिनी के पति बीमित स्व. बुटारी दास जांगडे के गंभीर बीमारी की बीमित संपूर्ण राशि (Sum Assured1) 1,14,081 /–रूपये (एक लाख चौदह हजार इक्यासी रूपये) परिवादिनी को भुगतान करेगा। विरोधी पक्षकार क्र. 02 परिवादिनी को उक्त राशि पर परिवाद प्रस्तुति दिनांक 27.12.2023 से अदायगी दिनांक तक 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज की राशि पृथक से भुगतान करेगा।

(ब) विरोधी पक्षकार क्र. 02 आदेश की प्रति प्राप्ति की तिथि से 45 दिवस की अवधि के भीतर परिवादिनी को मानसिक अभित्रास के प्रतिकर के रूप में 25,000/–रूपये (पच्चीस हजार रूपये) एवं वाद व्यय रूपये 5,000/–रूपये (पांच हजार रूपये) भी पृथक से भुगतान करेगा।

16. इस परिवाद में प्रस्तुत अंतरिम आवेदन पत्र, यदि कोई लंबित रहे हों, तो उन्हें तदनुसार, इस अंतिम आदेश के अन्तर्गत निराकृत माना जावेगा।

(आनंद कुमार सिंघल) अध्यक्ष **(श्रीमती पूर्णिमा सिंह) सदस्य** **(आलोक कुमार पाण्डेय) सदस्य**

Order Pronounced on: 18th November, 2025